न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 126/2012 दायर दिनांक–08.06.2012

1. मन्शाराम पुत्र मंगलाराम जाति गुर्जर निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. प्रहलाद सिंह पुत्र मूलसिंह
2. गोकलसिंह पुत्र हनुमान सिंह

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– श्री चंद्रकांत शर्मा

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–17.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम भोजनगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 1.90 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि के उत्तर में राजपूतों के बाड़े है वादी अपनी भूमि की रक्षा के लिए उत्तर में राजपूतों के बाड़े है वादी अपनी भूमि की रक्षो लिए उत्तर की तरफ खाई बाड़ लगा रखी है तथा उत्तर में खाई बाड़ के पास बड़े बड़े पेड़ खडे है प्रतिवादीगण व अन्य राजपूत वादी की खाई बाड़ से छेड़छाड़ करते रहते है मना करने पर मारपीट करने पर आमादा हो जाते है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर दबाना चाहते है इनकी नाजायज हरकतो से वादी परेशान है वादी शांति प्रिय व्यक्ति है प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है वादी अपनी खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नं0 1 वादी के उत्तर में स्थित है और उसकी नियत में खोट आ गया है। वादी की भूमि में जबरदस्ती नींव खोदकर अवैध निर्माण करने पर अमादा है वादी मना करता है तो मारने पर प्रतिवादीगण माने पर उतारू हो जाते है।

प्रतिवादीगण वादी को उनके वैध अधिकारों से महरूम करने पर अमादा है। अगर प्रतिवादीगण अपनी मंशा में सफल हो गये तो वादी को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा साथ साथ व्यर्थ की मुकदमेबाजी में में फंसना होगा, साथ ही अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि की खाई बाड़ को न तो स्वयं फोड़े ना ही किसी अन्य से ऐसा करावे। ना ही अतिक्रमण कर अवैध दिवार का निर्माण करें ना ही किसी अन्य से करवाये। उक्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम भोजनगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 1.90 है0 भूमि के उत्तरी सीमा की खाई बाड़ को न तो स्वयं तोड़े ना ही किसी अन्य से ऐसा करवायें तथा वर्षो पुराने पेड़ो को न तो स्वयं हटावे ना ही किसी अन्य से ऐसा करवायें। अवैध दिवार निर्माण न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवायें हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि– वादी की भूमि के उत्तर मे प्रतिवादीगण की भूमि होना स्वीकार है परन्तु यह तथ्य गलत है कि वादी ने उत्तर की ओर खाई बाड़ लगा रखी हो। बल्कि सही बात यह है कि वादी की जमीन के उत्तर में वादी की कोई खाई बाड़ स्थित नही है। उत्तर में जो खाई बाड़ या पेड़ लगे हुये है वह जमीन प्रतिवादीगण व अन्य लोगो की है। प्रतिवादीगण ने अपने हक स्वामित्व [illegible] लगाकर पेड़ लगाये है अब वादी की नियत खराब हो गयी और वह प्रतिवादीगण की जमीन हड़पने [illegible] लिए [illegible] दावा पेश किया है पटवारी हल्का ने दिनांक 29.09.2001 को माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश [illegible] सीमा ज्ञान व पत्थरगडडी की गई जो मौजूद है उसमें भी खाई बाड़ व पेड़ वादी [illegible] है परन्तु [illegible] नियत खराब है और वह प्रतिवादीगण की जमीन हड़पने के लिए झूठा [illegible] पेश किया है। जबाबदेह [illegible] वादी की जमीन से कोई संबंध नही रखता है परन्तु वादी दावे की आड़ में जबाबदेहन्दागण की जमीन हड़पना चाहता है उसका उसे कोई अधिकार नही है। जबाबदेहन्दागण आज भी जमीन नपवाने को तैयार है। जबाबदेहन्दागण ने कोई निर्माण कार्य नही किया है। निर्माण कार्य वर्षो पहले का किया हुआ है। इस पैरा में तमाम वाकियात गलत दर्ज किये है। जब वादी का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तो वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:22 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

के अधिकारों से महरूम होने का सवाल ही पैदा नही होता है। रिकॉर्ड व मौके के अनुसार दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमि पर आबाद है। तो पाबंद किये जाने का सवाल ही पैदा नही होता है।

अतः जबाब दावा पेशकर निवेदन है कि वादी का उक्त वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से जबाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. तनकी नम्बर 1 :– आया ग्राम भोजनगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 205 रकबा 1.90 है0 का वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है।

भा.स.वादी

2. तनकी नम्बर 2 :– आया वादी ने अपनी भूमि के उत्तरी सीमा पर खाई बाड़ कर रखी है जिससे छेड़छाड़ करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है।

भा.स.वादी

3. तनकी नम्बर 3 :– आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

भा.स.वादी

4. तनकी नम्बर 4 :– आया वादी के काई वादाधिकार पैदा नही हुआ है।

भा.स.प्र0वा0 1 व 2

तनकीयात कायम होने पर सहादत ली गई। सहादत वादी में वादी ने अपने की ताईद में स्वयं मंशाराम तथा बल्लाराम के सपथ पत्र प्रस्तुत करवाये गये तथा इनके बयान लेखबद्ध करवाये। वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये गयें।

सहादत प्रतिवादी में गोकलसिंह व प्रहलाद उपस्थित न्यायालय होकर चीफ के सपथ पत्र पेश किये तथा अपने बयान लेखबद्ध करवाये।

सहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

- तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4 :– उक्त तनकियां एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए उपरोक्त तनकियों का एक साथ विवेचना कि जा रही है। तनकी नम्बर 1 लगायत 03 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नम्बर 1 लगायत 03 में वादी ने विवादित भूमि के संबध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर तारबंदी आदि से छेड़छाड़ करने का कथन करते हुए मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करवाने की रिलिफ डिमाण्ड की है। वादी ने उक्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर तारबंदी आदि से छेड़छाड़ करने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजात् तथा साक्ष्य पेश नही किये है जिससे साबित हो कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि की सीमा तथा बाड़ से छेड़छाड़ की गई हो तथा मौके की वर्तमान स्थिति को जबरदस्ती परिर्वर्तित कर रहे हो। फलस्वरूप तनकी नं0 1 लगायत 03 वादी के विरूद्व तय की जाती है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 126/2012

(मंशाराम बनाम प्रहलाद आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.07..2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested